

कार्यालय आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

पत्रांक

/पि0व0क0/2019-20

दिनांक ०२ अगस्त, 2019

निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य,
समस्त शिक्षण संस्थाएं,
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2019-20 में समस्त वर्ग के पूर्वदशम छात्रवृत्ति/दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं का आवेदन पत्र आनलाइन भरवाने के सम्बन्ध में।

1-दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना:-

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, के शासनादेश संख्या-138/2019/2124/26-3-2019-4(358)/07टी.सी.III दिनांक 04.06.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12 के नवीनीकरण (Renewal) के जिन छात्र/छात्राओं द्वारा दिनांक 01.07.2019 से 20.08.2019 तक आनलाइन आवेदन पत्र भर कर विलम्बतम 27.08.2019 तक आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा कर दिया जाएगा उनके बैंक खाते में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि दिनांक 01.10.2019 तक प्रेषित कर दी जाएगी।

2-पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) योजना:-

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, के शासनादेश संख्या-137/2019/2124/26-3-2019-4(358)/07टी.सी.III दिनांक 04.06.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नवीनीकरण (Renewal) के जिन छात्र/छात्राओं द्वारा दिनांक 01.07.2019 से 10.08.2019 तक आनलाइन आवेदन पत्र भर कर विलम्बतम 16.08.2019 तक आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा कर दिया जाएगा उनके बैंक खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि दिनांक 01.10.2019 तक प्रेषित कर दी जाएगी।

छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर प्रदर्शित आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत माह जुलाई 2019 तक नवीनीकरण (Renewal) के बहुत कम छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन किया गया है, जबकि नवीनीकरण (Renewal) की तिथि समाप्त होने में बहुत कम समय अवशेष रह गया है, जिससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि आप द्वारा योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार न किये जाने के कारण बहुत से पात्र छात्र/छात्राओं के योजना का लाभ पाने से वंचित होने की संभावना है।

अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2019-20 में पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पात्र छात्र/छात्राओं से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन कराते हुए ससमय अग्रसारित करना सुनिश्चित करें, जिससे शासन द्वारा निर्गत समय-सारिणी के अनुसार धनराशि के अन्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

(शिव कुमार पाण्डेय)

संयुक्त विकास आयुक्त,
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

पृष्ठांक संख्या 47 /पि0व0क0/2019-20

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, समाज कल्याण/ पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज, मण्डल।
- 3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रयागराज मण्डल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

2.8.19
संयुक्त विकास आयुक्त,
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

प्रशासक

कृ० उम्त पल एवं सैलमनक को वि० वि० वेबसाइट पर

समस्त महा० वी कार्यालय लागिन पर तत्काल अपलोड करें।

5/8/19

विशेष सूचना

जो छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र आन लाइन दिनांक 20 अगस्त, 2019 तक भरकर शिक्षण संस्थान में 26 अगस्त तक जमा कर देंगे उन्हें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 01 अक्टूबर, 2019 तक प्रेषित कर दी जायेगी।

आज्ञा से
समाज कल्याण/ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
(कृपया इसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।)